

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/21/2013-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 11 जून, 2015

**अधिसूचना**

केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम, मेघालय एवं आंध्र प्रदेश सरकारों की सहमति से श्री गिरीश पी.एस, अ.भा.से. (एएम:12) की दिनांक 14.02.2014 की शारीरिक रूप से अक्षम (शारीरिक अक्षमता) नीति के आधार पर असम-मेघालय संवर्ग से आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करते हैं।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)